कार्यालय अध्यक्ष,वाणिज्य कर अधिकरण,उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

आदेशांक–वा0क0अधि0 / वृ0पी0नि0 / / 2020 दिनांकः:नवम्बर 13 ,2020

आदेश

उत्तर प्रदेश वैट नियमावली के नियम 64(3) सपठित धारा 57(12) (ई) (आई) उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम में निहित शक्तियों के अधीन मुख्यालय के आदेशांक–1668 / 2020 दिनांक 03.11.2020 के द्वारा मुख्यालय पर वृहत्तर पीठ से संबंधित लम्बित वादों यथा–अपील संख्या–14 / 2002 सर्वश्री नन्दनी इन्डस्ट्रीज, 23–बी,शारदा नगर,इन्डस्ट्रीयल इस्टेट,नुनहाई,आगरा, अपील संख्या–13 / 2002 सर्वश्री भारती इन्डस्ट्रीज,10 / 4,लिंक रोड,कटरा वजीर खॅान,नवलगंज,आगरा तथा अपील संख्या–49 / 2002 सर्वश्री सिंघल सिरामिक्स नका नं0–2,विचाऊपुर,गोरखपुर के निस्तारण हेतु माननीय अध्यक्ष महोदय के साथ श्री विनय सिंह,न्यायिक सदस्य पीठ–प्रथम,लखनऊ, श्री राजेश कुमार जैन,सदस्य पीठ–2, लखनऊ, श्री बुद्धेश मणि सदस्य पीठ–फैजाबाद एवं श्री सुनीत चन्द्रा,न्यायिक सदस्य पीठ–प्रथम,नोयडा को नामित करते हुए मुख्यालय,लखनऊ पर दिनांक 19.11.2020 को वृहत्तर पीठ का गठन किया गया था।

उपरोक्त संबंध में यह उल्लेखनीय है कि वर्तमान समय में माननीय अध्यक्ष महोदय एवं श्री राजेश कुमार जैन,सदस्य पीठ–2,लखनऊ कोविड–19 से संक्रमित होने के कारण क्वारन्टीन अवस्था में हैं। ऐसी स्थिति में वृहत्तर पीठ से संबंधित लम्बित उपरोक्त वादों का निस्तारण हो पाना संभव नहीं है। अतः माननीय अध्यक्ष महोदय से दूरभाष पर की गयी वार्ता के आधार पर मुख्यालय पर दिनांक 19.11.2020 को गठित उक्त वृहत्तर पीठ निरस्त की जाती है।

तद्नुसार संबंधित को सूचित किया जाये।

ह0–13.11.2020

(विनय सिंह)

प्र0 अध्यक्ष,वाणिज्य कर अधिकरण,

उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या– वा0क0अधि0 / वृ0पी0नि0 / 3116 / 2020 दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण,पीठ–प्रथम,लखनऊ।

2–सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण,पीठ–द्वितीय,लखनऊ।

3–सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण,पीठ–फैजाबाद।

4–सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण,पीठ–प्रथम,नोएडा।

5–कमिश्नर वाणिज्य कर,उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

6–राज्य प्रतिनिधि सम्बद्ध पूर्ण पीठ / वृहत्तर पीठ,लखनऊ।

7–प्रधानसहायक / वरिष्ठसहायक(यात्राभत्ता / विवरण / कम्प्यूटर / नाजिर,मुख्यालय।

8–संबंधित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष / सचिव।

for 13.11.2020

निबंधक

वाणिज्य कर अधिकरण,

उत्तर प्रदेश,लखनऊ।